न्यायालय :– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

B.P. No.-325/2026
ग्वालपाड़ा थाना कांड संख्या–149 / 2023

1- मो0 अफरोज खान उम्र करीब 25 वर्ष पिता स्व0 अलीमुद्दीन उर्फ अलमुद्दी (साकिन–ग्वालपाड़ा, वार्ड नं.–06, थाना– ग्वालपाड़ा एवं जिला मधेपुरा).....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार .....प्रतिपक्षी।

11-06-2026

दिनांक 28.02.2026 से काराधीन अभियुक्त मो0 अफरोज खान की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नुर आलम, द्वारा प्रचालित किया गया। नियमित जमानत आवेदन–पत्र की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम प्रसाद यादव को दी जा चुकी है।

सूचक रितेश कुमार थानाध्यक्ष ग्वालपाड़ा के फर्द बयान के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक और नमेश कुमार मिलकर एक सीटी 100 मोटरसाईकिल जिसका नं.–BR-43F7308 है से दिनांक–02.08.2023 को करीब 8 बजे शाम को मो. अमरेज के अंडा दुकान पर वह और नमेश कुमार अंडा खा रहे थे इसी दौरान 22–23 आदमी की संख्या में हरवे हथियार लेकर अंडा दुकान पर आ कर उसे गाली देते हुए धमकाने लगा कि तुमसे दो लाख रूपया रंगदारी मॉगा था अभी तक पहुँचाया क्यों नहीं। इसी बात पर वह और नमेश बोलने लगे कि रंगदारी में दो लाख रूपया क्यों देंगे। इसपर कमशः मो. कलीम खान, ने बोला कि मादर चोद को गाली मारो। इस पर राजा खान ने गोली चला दिया। जो गोली उसके सीने में थोड़ा नीचे लगा, जिससे वह घायल हो गया। फिर अब्दुल उर्फ सतर ने गोली चलाया जो उसके जॉध को छुते हुए निकल गया, जिससे उसके जॉध पर हलका जख्म हो गया। मो. अफरोज खान ने गोली चलाया जो नहीं लगा और वह जमीन पर गिर गया। इस पर नसीम खान उर्फ डोमी, अंगूर खान, इब्बा खान, कमरूल खान, इब्राहिम खान, मो. गुलफान, मो. कुर्बान, मो. तोसीफ मो. कासीम, दोनों का घर झंझरी 'जोत मनोहर' तथा आठ से नौ आदमी के करीब जिसमें वह नहीं पहचान पाया ये सभी आदमी मिलकर मारपीट करने लगा और गाली–गलौज करते हुए बोल रहा था देख लो मर गया की नहीं अगर नहीं मरा है तो और गोली मारो। ये लोग उसके ज़ब से पॉच हजार रूपया और एक चॉदी का लॉकेट जिसका कीमत करीब 2500 सौ रूपया था जो ले लिया। इसी वक्त संयोग से लाईन चला गया और वह किसी तरह से भागने लगा। भागने के कम में रास्ते में मो.हसन ने पकड लिया। वह किसी तरह छुड़ाकर भागा फिर आगे बढ़ने पर मो. अंजार ने पकड़ लिया और मारने लगा। वह किसी तरह छुड़ाकर और एक दिवाल फूादकर भाग गया। तब तक उसके पिताजी, चाचाजी और बड़े भाई को जानकारी मिला तो आकर ग्वालपाड़ा हॉस्पीटल ले गया। जहॉ दबाई और पट्टी बॉधकर मधेपुरा मेडिकल कॉलेज मधेपुरा रेफर कर

11-06-2026
लगातार.....

दिया, जहां वह ईलाजरत है। सूचक के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध ग्वालपाड़ा थाना कांड संख्या–149/2023 अन्तर्गत धाराऐं 147,148,149,341,323,379,385,307,504 भारतीय दंड़ विधान एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गयी।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नुर आलम, द्वारा यह कथन किया गया है कि आवेदक इससे पहले विद्वान सत्र न्यायाधीश और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था और किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन लंबित नही है। आवेदक पुर्णतः निर्दोष है एवं उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है जैसा कि उस पर आरोप लगाया गया है। आवेदक को इस मुकदमा में गॉव की गंदी राजनीति के कारण झुठा फॅसाया गया है। आवेदक का पूर्व का अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक–28.02.2026 से कारा अभिरक्षा में है। यह आवेदक विधि को मानने वाला व्यक्ति है जिसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक अभियुक्त न्यायालय को पर्याप्त राशि का एवं संतोषप्रद निजी बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने को तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत की सुविधा दी जाय।

बिहार सरकार के विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव, द्वारा उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत मामले में पर्याप्त सामग्री, कांड दैनिकी में उपलब्ध है। अतः नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा औपचारिक प्राथमिकी, सूचक के फर्द बयान, मूल अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। *Informant Ritesh Kumar and Namesh Kumar were eating eggs on dated 02.08.23 at 08:00 PM. Accused persons Md. Kalim Khan, Raja Khan, Md. Afroz, Naseem Khan, Angur Khan, Ibba Khan, Kamrul Khan, Ibrahim Khan, Md. Gulfam, Md. Kurban, Md. Tausif, Md. Kasim and other unknown persons came to place of occurrence and fired many gun shots and abused informant. Raja Khan fired a bullet which pierced below chest. Abdul @ Sattar fired which made scratch on thigh of informant. Accused persons ordered informant to pay extortion money of Rs. 2,00,000/-(two lacs) which informant and his friend Namesh Kumar denied to pay. Both informant and his friend was badly assaulted and Rs. 5,000/- in cash and silver bracelet of Rs.*

11-06-2026
लगातार.....

2,500/- were taken out from Ritesh Kumar. Para 18 of the case diary stated that initially the victim Ritesh Kumar was medically treated at Primary Health Care Center, Gwalpara who referred the case to Madhepura Medical College for better management of injuries sustained by victim Ritesh Kumar. During investigation I.O. maintained in para 18 of the case diary that when victim was contacted regarding his injury report to be submitted in court. The victim replied that he took medical treatment from I.G.I.M.S., Patna but he has no documentation and same can be available after correspondence with I.G.I.M.S., Patna. Still no final injury report is available on record. It is apparent that victim did not receive serious injury in alleged occurrence. The seizure list does not show that empty bullet cartridges were recovered from place of occurrence. No country made pistol or fire arm were recovered from place of occurrence. Police recovered a black color splender motorcycle and red color bajaj motorcycle, one plus and redmi mobile. Nothing incriminating found from place of occurrence which shows that there was continuous firing of bullets. Para 21 of case diary stated no criminal antecedent against Raja Khan, Abdul @ Sattar and Md. Afroz. There is specific allegation against Md. Kalim Khan, Raja Khan and Abdul @ Sattar who allegedly fired gun shots. There is no specific allegation of assault against Md. Afroz.

Moreover petitioners has been under judicial custody since 28.02.2026. Having considered the nature of allegation attributed against petitioner and no criminal antecedent, I am inclined to enlarge the petitioner on regular bail upon furnishing a bail bond of Rs. 20,000/- into two sureties of like amount with further condition that petitioners shall present physically before the court till framing of charge.

लेखापित

(संजीव कुमार–II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– प्रथम,
सह–स्पेशल जज, मधेपुरा।